न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰ 7

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का .... बनाम ....
प०ह० अक्का V/S निर्मलासिंह निहालसिंह पि० करोड़ी जाट खेरलीरेला

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या – 70/RA

निर्णय दिनॉक :- 22/3/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीतर्फरेला की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 0-19 किस्म जमीन गै०मु० श्मशान में से 0-01 रकबे पर श्री निर्मलानिहालसिंह पि०करोड़ी जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .... खुडा/लकड़ी डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अक्का द्वारा दिनॉक 27/8/18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. पारोदा .... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी निर्मल, निहाल पि० करोड़ी जाति जाट निवासी खेरलीरेला को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 161 रकबा 0-19 में से 0-01 रकबे किस्म गै०मु०श्मशान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अक्का (Three Rs.) भू.अ.निरी. पारोदा. .... को लिखा जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

प्रतिलिपि :- प. ह. को पालनार्थ
पटमापरी नगल पेश हो।